20-06-17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 165(B)/15-16

ज्योति महतो बनाम मोहन लाल महतो

:: आदेश ::

अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 363 दिनांक 02.05.17 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 165(B)/15-16 से जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस वाद में ज्योति महतो, पति-स्व0 हरिहर महतो, ग्राम-केन्दुआ, थाना-सरायकेला, जिला- सरायकेला- खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु मोहन लाल महतो, पिता-आनंद महतो, ग्राम-केन्दुआ, थाना-सरायकेला, जिला- सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर की धारा 46(1)B के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किया है। केता के निवास के संबंध मे आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र दिया गया है।

:: भूमि का विवरण::

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
महुलपानी	211	73	142	0.31 ए0
			143	0.16 ए0
				0.47 ए0

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही किया है अंचल अधिकारी सरायकेला द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से पता चलता है कि प्रस्तावित भूमि विकेता के पति एवं अन्य के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक के हिस्से मे लगभग 4.09 एकड़ जमीन है। जिसमें से 0.47 एकड़ विक्री करने के पश्चात 3.62 एकड़ भूमि बचती है। विकेता अपने दखल कब्जा भूमि को विक्री करना चाहते है। प्रतिवेदनानुसार विकेता एवं केता एक ही थाना एवं जिला के रहने वाले जाति महतो (कुर्मी) है, जो (पिछड़ा) वर्ग मे आते है।

उपयुक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक मे उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.47 एकड़ भूमि विक्री करने की अनुमति दी जाती है

20/6/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।